

**कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।**

संख्या: 25639 / सात लाई-48 / आबकारी नीति-2025 / देहरादून: दिनांक: मार्च, 16, 2026

**::सार्वजनिक विज्ञापित::**

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-28, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सातलाई-48/व्यव/2026-27/2027-28/सातनिर्देश/व्यवस्थापन देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028) की अवधि हेतु अव्यवस्थापित/नवसृजित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक एवं अर्ह आवेदक निम्नांकित जनपदों में मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु निम्नवत निर्धारित तिथि, समय एवं प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक
1.	फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सांय 5 बजे तक
2.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 की अपराह्न 02.00 बजे तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दिवस
6.	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकान का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्त ऑफर को आबकारी आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु मदिरा दुकानें जिन पर लॉटरी (प्रथम एवं द्वितीय चरण), प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर उपर्युक्त उल्लिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
उत्तरकाशी	(1) विदेशी मदिरा दुकान आराकोट, (2) वि० म० हर्षिल/झाला (3) वि० म० सांकरी।
चम्पावत	(1) सीम चूका विदेशी मदिरा (नवसृजित) (2) बोटड़ी पनार विदेशी मदिरा (नवसृजित) (3) बालिक देशी (नवसृजित) (4) मंच देशी (नवसृजित)
उधमसिंहनगर	(1) देशी मदिरा दुकान सितारगंज चीनी मिल पीलीभीत रोड (2) दे०म०दु० मानपुर रोड (3) दे०म०दु० पूरनापुर-टेड़ाघाट (4) दे०म०दु० भगवन्तपुर अमानगढ़ रोड (5) दे०म०दु० अनाजमण्डी काशीपुर (6) दे०म०दु० धीमरखेड़ा (7) दे०म०दु० हल्दूआसाहू (8) दे०म०दु० मलसा गिरधरपुर रोड (नवसृजित) (9) दे०म०दु० जाफरपुर (नवसृजित) (10) दे०म०दु० चक्कीमोड़ (11) दे०म०दु० छिनकी किच्छा (नवसृजित) (12) दे०म०दु० बिन्दुखेड़ा रोड ग्राम दानपुर (नवसृजित) (13) दे०म०दु० पटिया कौंधा असरफ (14) दे०म०दु० बानूसी (नवसृजित) (15) दे०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (16) दे०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (17) दे०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (18) दे०म०दु० सकैनिया रोड (19) दे०म०दु० प्रतापपुर 17 मील रोड (नवसृजित) (20) दे०म०दु० पिपलिया (बाजपुर) (नवसृजित) (21) दे०म०दु० निकट कोसी काँटा बाजपुर (नवसृजित) (22) दे०म०दु० टुकड़ी बिछुवा रोड नगला (23) दे०म०दु० सुन्पहर (24) दे०म०दु० बगियाघाट (नवसृजित) (25) विदेशी मदिरा दुकान किच्छा रोड़ सितारगंज (नवसृजित) (26) वि०म०दु० टनकपुर रोड खटीमा (नवसृजित) (27) वि०म०दु० चैती चौराहा (नवसृजित) (28) वि०म०दु० रम्पुरा रूद्रपुर (नवसृजित) (29) वि०म०दु० सिसैया निकट नेशनल हाईवे सितारगंज (30) वि०म०दु० बाजुपर दौराहा (31) वि०म०दु० इन्द्रा कालोनी (नवसृजित) (32) वि०म०दु० ढकिया गुलाबो (नवसृजित) (33) वि०म०दु० रामराज रोड निकट मण्डी गेट बाजपुर (नवसृजित) (34) वि०म०दु० छोई रोड (35) वि०म०दु० धनौरी-कैलामोड़ रोड (36) वि०म०दु० सकैनिया रोड (नवसृजित) (37) वि०म०दु० धीमर खेड़ा (38) वि०म०दु० सुल्तानपुर पट्टी (39) वि०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (40) वि०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (41) वि०म०दु० नादेही (42) वि०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (43) वि०म०दु० सुन्पहर
अल्मोड़ा	(1) विदेशी मदिरा दुकान पनुवानोला (2) वि०म०दु० धौलछीना (3) वि०म०दु० जालली (4) वि०म०दु० क्वैरला (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० दौलाघट (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खेड़ा (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तिपोला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० पनार (नवसृजित) (10) देशी मदिरा दुकान सौराल (11) दे०म०दु० पातली (नवसृजित) (12) दे०म०दु० जालली (नवसृजित)

पिथौरागढ़	(1) विदेशी मदिरा दुकान डीडीहाट (2) वि०म०दु० मुनसारी (3) वि०म०दु० जौलजीवी (4) वि०म०दु० बुंगाछीना (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० मदकोट (7) वि०म०दु० देवलथल (8) वि०म०दु० डूनी/टिम्टा (नवसृजित) (9) वि०म०दु० खिरगाण्डे (नवसृजित) (10) वि०म०दु० खांकर (नवसृजित) (11) वि०म०दु० तवाघाट (नवसृजित) (12) देशी मदिरा दुकान जौलजीवी (13) दे०म०दु० धारचूला रोड पिथौरागढ़ (नवसृजित) (14) दे०म०दु० जाजरदेवल (नवसृजित) (15) दे०म०दु० बलुवाकोट (नवसृजित) (16) दे०म०दु० ओगला (नवसृजित) (17) दे०म०दु० सुवालेख (नवसृजित) (18) दे०म०दु० मुनस्यारी (नवसृजित) (19) दे०म०दु० बनकोट (नवसृजित) (20) दे०म०दु० उडियारीबैण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित) (21) दे०म०दु० तेजम (नवसृजित) (22) दे०म०दु० बांसवगड़ (नवसृजित)
पौड़ी गढ़वाल	(1) विदेशी मदिरा दुकान कोट (2) वि०म०दु० नैनीडांडा (3) वि०म०दु० पौखाल (4) वि०म०दु० व्यासघाट/सिल्सू तल्ला/उभरासूरोड (5) वि०म०दु० ढाबखाल (6) वि०म०दु० दुधारखाल (7) वि०म०दु० रामणी/भरतनगर उत्तिका (8) वि०म०दु० कसाणी
नैनीताल	(1) विदेशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (बजून से कालाढूंगी मार्ग) (नवसृजित) (2) वि०म०दु० काशीपुर रोड (रामनगर से काशीपुर मार्ग) (नवसृजित) (3) वि०म०दु० रामपुर रोड (पंचायत घर से गन्ना रोन्टर मार्ग) (नवसृजित) (4) वि०म०दु० मोहान रोड (ढिकुली से मोहान रोड) (नवसृजित) (5) वि०म०दु० रातीघाट (नैनीताल) (नवसृजित) (6) देशी मदिरा दुकान गौलापार से चौरगलिया रोड (नवसृजित) (7) देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (बजून से कालाढूंगी मार्ग) (नवसृजित) (8) देशी मदिरा दुकान मालधन रोड (निकट विदेशी मदिरा दुकान) (नवसृजित)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD), (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रु० 65,000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिन्न हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) अथवा [www.uk.nic.in](http://www.uk.nic.in) व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1 गांधी रोड देहरादून एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(प्रभाशंकर मिश्रा)

उप आबकारी आयुक्त,  
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संख्या: 25640-44/सात लाई०-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के ब्यौरे सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 17.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(प्रभाशंकर मिश्रा)

उप आबकारी आयुक्त,  
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

विज्ञापित

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शारान आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/xxiii-1/2025-04 (01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-28, 2026-27 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शारान यो पत्र संख्या-45/xxiii-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/ सात0लाई-48/व्यय0/2026-27/2027-28/सा0निर्देश व्यवस्थापन देहरादून दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028) को अवधि हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर की अव्यवस्थापित/नवसृजित निम्न देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक एवं अर्ह आवेदक मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु निम्नवत् निर्धारित तिथि, समय एवं प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक
1.	फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सायां 5 बजे तक
2.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 की अपराह्न 02.00 बजे तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात् अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात् प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दिवस
6.	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात् अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकानों का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से सायां 05 बजे तक

जनपद ऊधमसिंह नगर की अव्यवस्थापित/नवसृजित मदिरा दुकानों के नाम एवं उनके राजस्व का विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	मदिरा दुकान का		वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राजस्व विवरण (रु० में)					वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु राजस्व विवरण (रु० में)					वित्तीय वर्ष 26-27 एवं 27-28 का सकल राजस्व (रु० में)	वॉछित धरोहराशि (EMD) (रु० में)
	नाम	प्रकार	निर्धारित कुल राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	वार्षिक एम०जी०डी०	प्रतिभूति (एक माह हेतु)	वॉछित हैसियत की धनराशि	निर्धारित कुल राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	वार्षिक एम०जी०डी०	प्रतिभूति (एक माह हेतु)	वॉछित हैसियत की धनराशि		
1	सितारगंज चीनी मिल पीलीभीत रोड	देशी	15600000	156000	15444000	1287000	2340000	15912000	159000	15753000	1312750	2386800	31512000	630240
2	मानपुर रोड	देशी	12000000	120000	11880000	990000	1800000	12240000	122000	12118000	1009833	1836000	24240000	484800
3	पूरनापुर-टेडाघाट	देशी	10800000	108000	10692000	891000	1620000	11016000	110000	10906000	908833	1652400	21816000	436320
4	भगवन्तपुर अमानगढ रोड	देशी	10800000	108000	10692000	891000	1620000	11016000	110000	10906000	908833	1652400	21816000	436320
5	अनाजमण्डी, काशीपुर	देशी	10800000	108000	10692000	891000	1620000	11016000	110000	10906000	908833	1652400	21816000	436320
6	धीमरखेड़ा	देशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7344000	73000	7271000	605917	1101600	14544000	290880
7	हल्दुआसाहू	देशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7344000	73000	7271000	605917	1101600	14544000	290880
8	मलसा गिरधरपुर रोड	देशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7344000	73000	7271000	605917	1101600	14544000	290880
9	जाफरपुर	देशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7344000	73000	7271000	605917	1101600	14544000	290880
10	चक्कीमोड़	देशी	6000000	60000	5940000	495000	900000	6120000	61000	6059000	504917	918000	12120000	242400
11	छिनकी किच्छा	देशी	6000000	60000	5940000	495000	900000	6120000	61000	6059000	504917	918000	12120000	242400
12	बिन्दुखेड़ा रोड ग्राम दानपुर	देशी	6000000	60000	5940000	495000	900000	6120000	61000	6059000	504917	918000	12120000	242400
13	पटिया कौधा असरफ	देशी	5400000	54000	5346000	445500	810000	5508000	55000	5453000	454417	826200	10908000	218160
14	बानुसी	देशी	5400000	54000	5346000	445500	810000	5508000	55000	5453000	454417	826200	10908000	218160
15	निकट खुरपिया फार्म किच्छा	देशी	4800000	48000	4752000	396000	720000	4896000	49000	4847000	403917	734400	9696000	193920
16	पिपलिया घौरा डैम रोड	देशी	4800000	48000	4752000	396000	720000	4896000	49000	4847000	403917	734400	9696000	193920
17	निकट परमानन्दपुर	देशी	4800000	48000	4752000	396000	720000	4896000	49000	4847000	403917	734400	9696000	193920
18	सकैनिया रोड	देशी	4200000	42000	4158000	346500	630000	4284000	43000	4241000	353417	642600	8484000	169680
19	प्रतापपुर 17 मील रोड	देशी	3960000	40000	3920000	326667	594000	4039200	40000	3999200	333267	605880	7999200	159984
20	पिपलिया (बाजपुर)	देशी	3600000	36000	3564000	297000	540000	3672000	37000	3635000	302917	550800	7272000	145440
21	निकट कोसी कॉटा, बाजपुर	देशी	3600000	36000	3564000	297000	540000	3672000	37000	3635000	302917	550800	7272000	145440
22	टुकड़ी बिछवा रोड नगला	देशी	3240000	32000	3208000	267333	486000	3304800	33000	3271800	272650	495720	6544800	130896
23	सुन्पहर	देशी	3000000	30000	2970000	247500	450000	3060000	31000	3029000	252417	459000	6060000	121200
24	बगियाघाट	देशी	1800000	18000	1782000	148500	270000	1836000	18000	1818000	151500	275400	3636000	72720
25	किच्छा रोड सितारगंज	विदेशी	26400000	264000	26136000	2178000	3960000	27456000	275000	27181000	2265083	4118400	53856000	1077120
26	टनकपुर रोड खटीमा	विदेशी	24000000	240000	23760000	1980000	3600000	24960000	250000	24710000	2059167	3744000	48960000	979200
27	चैती चौराहा	विदेशी	21600000	216000	21384000	1782000	3240000	22464000	225000	22239000	1853250	3369600	44064000	881280
28	रम्पुरा रुद्रपुर	विदेशी	18000000	180000	17820000	1485000	2700000	18720000	187000	18533000	1544417	2808000	36720000	734400
29	सिसैया, निकट नेशनल हाईवे, सितारगंज	विदेशी	14400000	144000	14256000	1188000	2160000	14976000	150000	14826000	1235500	2246400	29376000	587520
30	बजपुर दौराहा	विदेशी	12000000	120000	11880000	990000	1800000	12480000	125000	12355000	1029583	1872000	24480000	489600
31	इंद्रा कालौनी	विदेशी	12000000	120000	11880000	990000	1800000	12480000	125000	12355000	1029583	1872000	24480000	489600
32	ढकिया गुलाबों	विदेशी	12000000	120000	11880000	990000	1800000	12480000	125000	12355000	1029583	1872000	24480000	489600
33	रामराज रोड निकट मण्डी गेट बाजपुर	विदेशी	9600000	96000	9504000	792000	1440000	9984000	100000	9884000	823667	1497600	19584000	391680
34	छोई रोड	विदेशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7488000	75000	7413000	617750	1123200	14688000	293760
35	धनौरी-केलामोड़ रोड	विदेशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7488000	75000	7413000	617750	1123200	14688000	293760
36	सकैनिया रोड	विदेशी	7200000	72000	7128000	594000	1080000	7488000	75000	7413000	617750	1123200	14688000	293760
37	धीमर खेड़ा	विदेशी	6600000	66000	6534000	544500	990000	6864000	69000	6795000	566250	1029600	13464000	269280
38	सुल्तानपुर पट्टी	विदेशी	6000000	60000	5940000	495000	900000	6240000	62000	6178000	514833	936000	12240000	244800
39	निकट खुरपिया फार्म किच्छा	विदेशी	6000000	60000	5940000	495000	900000	6240000	62000	6178000	514833	936000	12240000	244800
40	पिपलिया घौरा डैम रोड	विदेशी	5400000	54000	5346000	445500	810000	5616000	56000	5560000	463333	842400	11016000	220320
41	नादेही	विदेशी	4800000	48000	4752000	396000	720000	4992000	50000	4942000	411833	748800	9792000	195840
42	निकट परमानन्दपुर	विदेशी	4800000	48000	4752000	396000	720000	4992000	50000	4942000	411833	748800	9792000	195840
43	सुन्पहर	विदेशी	3600000	36000	3564000	297000	540000	3744000	37000	3707000	308917	561600	7344000	146880

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शारान आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXII-1/2025-04(01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वॉछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/ एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD), (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रु० 65,000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिन्न हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/ लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) अथवा [www.uk.nic.in](http://www.uk.nic.in) व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1 गांधी रोड देहरादून एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,  
ऊधमसिंह नगर।



उत्तराखण्ड शासन आदकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 176 / XIII-1 / 2025-04(01) 2025 देहाय दिनांक 05.03.2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक आदकारी नीति के निम्न संख्या 11 (1) के अनुसार नवीनीकृत किये जाने वाली दुकानों के राजस्व निर्धारण के पर्याप्त अवशेष राजस्व प्राप्त करने हेतु नई सृजित महिदा दुकानों का चार्ट।

क्र.सं.	महिदा दुकान का नाम व प्रकार	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीनीकृत होने वाले क्षेत्र (राजस्व के 1 महिदा के समान)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीनीकृत होने वाले क्षेत्र (राजस्व के 1000 के तुल्य में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवीनीकृत क्षेत्र (कुल राजस्व में अनुमानित वृद्धि करने के कारण)	पूरा नवीनीकृत क्षेत्र वार्षिक राजस्व (12)	वित्तीय नवीनीकृत क्षेत्र वार्षिक राजस्व (12)	क्षेत्रगत दर-दर (कुल राजस्व का 15 प्रतिशत)
1	सीमा दुका (विदेशी महिदा)	45498805	454988	455000	45043805	3753650	3753650	6824821
2	बागड़ी दुका (विदेशी महिदा)	45498805	454988	455000	45043805	3753650	3753650	6824821
3	बागड़ी (देशी महिदा)	45498805	454988	455000	45043805	3556669	3556669	6466554
4	महा (देशी महिदा)	43111026	431110	431000	42680026	14817620	14817620	26941116
	योग	179607441	1796074	1796000	177811441	14817620	14817620	

*Milinda*  
 महिदा दुका निर्देशक  
 उत्तराखण्ड शासन।

*df*  
 आदकारी निर्देशक,  
 क्षेत्र-01, चम्पावत।

*Milinda*  
 वित्त आदकारी आदकारी,  
 चम्पावत।

*Milinda*  
 वित्त निर्देशक,  
 चम्पावत।

D-60-01 का आदकारी/प्रशासक/अनुभाग

## विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/ 2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/व्यव0/ 2026-27/2027-28/ सा0निर्देश/व्यवस्थापन/देहरादून दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

### अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण

#### वित्तीय वर्ष 2026-27


क्र. सं.	कोड संख्या	दुकान का नाम	प्रकार	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुमानित शुल्क (कॉलम 05 का 1 प्रतिशत 1000 के गुणांक में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत रूपटी (कॉलम 05-06)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित परोहर घनराशि (EMD) (कॉलम 05 का 02 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हेतियत की घनराशि (कॉलम 05 का 15 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रथम प्रतिभूति की घनराशि (कॉलम 7/12)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की घनराशि (कॉलम 7/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	F2	बिथौरागढन-2	वि०म०	124820696	1248000	123572696	2496414	18723104	10297725	10297725
2.	F7	डीडीहाट	वि०म०	70915630	709000	70206630	1418313	10637345	5850553	5850553
3.	F11	मुनस्यारी	वि०म०	30893401	309000	30584401	617868	4634010	2548700	2548700
4.	F13	जालजीरी	वि०म०	20220953	202000	20018953	404419	3033143	1668246	1668246
5.	F14	मुगाछिना	वि०म०	11415854	114000	11301854	228317	1712378	941821	941821
6.	F16	जौरासी	वि०म०	7845872	78000	7767872	156917	1176881	647323	647323
7.	F26	मदकाट	वि०म०	13000000	130000	12870000	260000	1950000	1072500	1072500
8.	F32	दबलतल	वि०म०	6201329	62000	6139329	124027	930199	511611	511611
9.	C8	जालजीरी	द०म०	2601000	26000	2575000	52020	390150	214583	214583
10.	F33	दूनी/टिम्टा (नवसृजित)	वि०म०	18500000	185000	18315000	370000	2775000	1526250	1526250
11.	F34	खिरमाण्ड (नवसृजित)	वि०म०	18500000	185000	18315000	370000	2775000	1526250	1526250
12.	F35	छाकर (नवसृजित)	वि०म०	18500000	185000	18315000	370000	2775000	1526250	1526250
13.	F36	तवाघाट (नवसृजित)	वि०म०	23000000	230000	22770000	460000	3450000	1897500	1897500
14.	C10	घारपूला विथौरागढ (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
15.	C11	जाजरदवल (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
16.	C12	बलुवाकोट (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
17.	C13	आंगला (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
18.	C14	रुवालख (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
19.	C15	भुनरथारी (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
20.	C16	बनकोट (नवसृजित)	द०म०	10500000	105000	10395000	210000	1575000	866250	866250
21.	C17	उठियारीकण्ड/पी कोटी (नवसृजित)	द०म०	10400000	104000	10296000	208000	1560000	858000	858000
22.	C18	तेजम (नवसृजित)	द०म०	10100000	101000	9999000	202000	1515000	833250	833250
23.	C19	बाराबगढ (नवसृजित)	द०म०	9397573	94000	9303573	187951	1409636	775298	775298
योग :-				469812308	4697000	465115308	9396246	70471846	38759610	38759610

*(Handwritten Signature)*  
13/3/26

**वित्तीय वर्ष 2027-28**

क. सं.	कोड संख्या	दुकान का नाम	प्रकार	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुमानित शुल्क (कॉलम 05 का 1 प्रतिशत 1000 के गुणांक में)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्यागृत ब्यूटी (कॉलम 05-06)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 05 का 02 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 05 का 15 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 7/12)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 7/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	F2	पिथौरागढ़ नं०-02	वि०म०	129813524	1298000	128515524	2596270	19472029	10709627	10709627
2.	F7	डीडीहाट	वि०म०	73752255	738000	73014255	1475045	11062838	6084521	6084521
3.	F11	मुनस्यारी	वि०म०	32129137	321000	31808137	642583	4819371	2650678	2650678
4.	F13	जौलजीबी	वि०म०	21029791	210000	20819791	420596	3154469	1734983	1734983
5.	F14	दुगाछीना	वि०म०	11872488	119000	11753488	237450	1780873	979457	979457
6.	F16	जौरासी	वि०म०	8159707	82000	8077707	163194	1223956	673142	673142
7.	F26	मदकोट	वि०म०	13520000	135000	13385000	270400	2028000	1115417	1115417
8.	F32	देवलथल	वि०म०	6449382	64000	6385382	128988	967407	532115	532115
9.	C8	जौलजीबी	दे०म०	2653020	27000	2626020	53060	397953	218835	218835
10.	F33	डूनी/टिम्टा (नवसृजित)	वि०म०	19815000	198000	19617000	396300	2972250	1634750	1634750
11.	F34	खिरमाण्डे (नवसृजित)	वि०म०	19815000	198000	19617000	396300	2972250	1634750	1634750
12.	F35	खाकर (नवसृजित)	वि०म०	19815000	198000	19617000	396300	2972250	1634750	1634750
13.	F36	तवाघाट (नवसृजित)	वि०म०	24495000	245000	24250000	489900	3674250	2020833	2020833
14.	C10	घारचूला पिथौरागढ़ रोड (नवसृजित)	दे०म०	11285000	113000	11172000	225700	1692750	931000	931000
15.	C11	जाजरदेवल (नवसृजित)	दे०म०	11285000	113000	11172000	225700	1692750	931000	931000
16.	C12	बलुवाकोट (नवसृजित)	दे०म०	11284584	113000	11171584	225692	1692688	930965	930965
17.	C13	आंगला (नवसृजित)	दे०म०	11285000	113000	11172000	225700	1692750	931000	931000
18.	C14	सुबालेख (नवसृजित)	दे०म०	11285000	113000	11172000	225700	1692750	931000	931000
19.	C15	मुनस्यारी (नवसृजित)	दे०म०	11285022	113000	11172022	225700	1692753	931002	931002
20.	C16	वनकोट (नवसृजित)	दे०म०	11285000	113000	11172000	225700	1692750	931000	931000
21.	C17	उडियारीदेण्ड/चौ कोडी (नवसृजित)	दे०म०	11183000	112000	11071000	223660	1677450	922583	922583
22.	C18	तेजम (नवसृजित)	दे०म०	10877000	109000	10768000	217540	1631550	897333	897333
23.	C19	बासबगड़ (नवसृजित)	दे०म०	10168524	102000	10066524	203370	1525279	838877	838877
योग :-				494542434	4947000	489595434	9890848	74181366	40799618	40799618

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) अथवा [www.uk.nic.in](http://www.uk.nic.in) एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

  
 13/03/26  
 जिला आबकारी अधिकारी,  
 पिथौरागढ़।

can!

-:विज्ञापित:-

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग, देहरादून की अधिसूचना संख्या 176/XXIII-1/2025-04(01)-2025 दिनांक 05.03.2025 एवं आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-28, 2026-27 एवं 2027-28 (त्रिवर्षिय आबकारी नीति), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 45/XXIII-1/2024-ई-80688-2025 देहरादून दिनांक 03.02.2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या 22958/रात लाई0-40/व्यवस्थापन/2026-27/2027-28 सामान्य निर्देश/व्यवस्थापन/देहरादून, दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षिय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात जनपद- अल्मोडा के निम्न अव्यवस्थापित 05 विदेशी मदिरा एवं 01 देशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु राजस्व निर्धारण का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2026-27 अव्यवस्थापित 09 विदेशी मदिरा एवं 03 देशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण:-

क्र० सं०	नाम दुकान	प्रकार	वर्ष 2026-27 का निर्धारणराजस्व	वर्ष 2026-27 का अनुशुल्क (1000 के गुणांक में)	वर्ष 2026-27 का वार्षिक अधिभार	वर्ष 2026-27 हेतु धरोहर राशि (EMD)	वर्ष 2026-27 हेतु हैसियत की राशि	प्रतिभूति की धनराशि	
								प्रथम	द्वितीय
01	पनुवानोला	वि०म०	27040000	270000	20770000	540800	4056000	2230833	2230833
02	धौलछीना	वि०म०	21123409	211000	20912409	422470	3168523	1742707	1742707
03	जालली	वि०म०	15048556	150000	14898556	300971	2257283	1241546	1241546
04	व्दैरला	वि०म०	8320000	83000	8237000	166400	1248000	686417	686417
05	जौरासी	वि०म०	6240000	62000	6178000	124800	936000	514833	514833
06	दौलाघट (नवीन)	वि०म०	19000000	190000	18810000	380000	2850000	1567500	1567500
07	खेडा (नवीन)	वि०म०	29000000	290000	28710000	580000	4350000	2392500	2392500
08	तिपोला (नवीन)	वि०म०	12000000	120000	11880000	240000	1800000	990000	990000
09	पनार (नवीन)	वि०म०	9600000	96000	9504000	192000	1440000	792000	792000
10	सौराल	दे०म०	6630000	66000	6564000	132600	994500	547000	547000
11	पातली (नवीन)	दे०म०	11000000	110000	10890000	220000	1650000	907500	907500
12	जालली (नवीन)	दे०म०	9667081	97000	9570081	193342	1450062	797507	797507

वर्ष 2027-28 अव्यवस्थापित 09 विदेशी मदिरा एवं 03 देशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण:-

क्र० सं०	नाम दुकान	प्रकार	वर्ष 2027-28 का निर्धारणराजस्व	वर्ष 2027-28 का अनुशुल्क (1000 के गुणांक में)	वर्ष 2027-28 का वार्षिक अधिभार	वर्ष 2027-28 हेतु धरोहर राशि (EMD)	वर्ष 2027-28 हेतु हैसियत की राशि	प्रतिभूति की धनराशि	
								प्रथम	द्वितीय
01	पनुवानोला	वि०म०	28121600	281000	27840600	562432	4218240	2320050	2320050
02	धौलछीना	वि०म०	21968428	220000	21748428	439369	3295264	1812369	1812369
03	जालली	वि०म०	15650498	157000	15493498	313010	2347575	1291125	1291125
04	व्दैरला	वि०म०	8652800	87000	8565800	173056	1297920	713817	713817
05	जौरासी	वि०म०	6489600	65000	6424600	129792	973440	535383	535383
06	दौलाघट (नवीन)	वि०म०	19236378	192000	19044378	384728	2885457	1587032	1587032
07	खेडा (नवीन)	वि०म०	29360788	294000	29066788	587216	4404118	2422232	2422232
08	तिपोला (नवीन)	वि०म०	12149292	121000	12028292	242986	1822394	1002358	1002358
09	पनार (नवीन)	वि०म०	9719433	97000	9622433	194389	1457915	881069	881069
10	सौराल	दे०म०	6762600	68000	6694600	135252	1014390	557883	557883
11	पातली (नवीन)	दे०म०	10922680	109000	10813680	218454	1638402	901140	901140
12	जालली (नवीन)	दे०म०	9599581	96000	9503581	191992	1439937	791965	791965

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित मदिरा दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप में आवेदन- पत्र, शपथ- पत्र, पहिचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड) की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण- पत्र (प्रारूप- जी 39) में अथवा अधिकृत आयकर बैल्यूवर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण- पत्र (मूल रूप से)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति धोषित होने तिथि के पश्चात जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा के पक्ष में देय हो सहित आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त हेतु आवेदक को आवेदन- पत्र के साथ गत 02 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण- पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा रू० 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय रू० 10 लाख तथा रू० 10 करोड़ से रू० 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय रू० 7 लाख तथा रू० 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय रू० 5 लाख विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण- पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित मदिरा दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईड [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) अथवा [www.uk.nic.in](http://www.uk.nic.in) एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा तथा सम्बन्धित आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने के अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी/जिला आवंटन समिति का होगा।

कृते जिला आबकारी अधिकारी,  
अल्मोडा।

## विज्ञापित

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/व्यव0/2026-27/2027-28/सा0निर्देश/ व्यवस्थापन/ देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

### अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरण

#### वित्तीय वर्ष 2026-27

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांक में	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (कॉलम 3-4)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 3 का 2%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आराकोट	5047120	50000	4997120	100942	757068	416427	416427
2	हर्षिल/झाला	24000000	240000	23760000	480000	3600000	1980000	1980000
3	सांकरी	17915788	179000	17736788	358316	2687368	1478066	1478066

#### वित्तीय वर्ष 2027-28

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांक में	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (कॉलम 3-4)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (कॉलम 3 का 2%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वर्ष 2027-28 हेतु नवीनीकरण शुल्क निर्धारित राजस्व का 0.35% या 50000 जो अधिक हो (कॉलम 3 का 0.35%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आराकोट	5249005	52000	5197005	104980	787351	433084	433084	50000
2	हर्षिल/झाला	24960000	250000	24710000	499200	3744000	2059167	2059167	87360
3	सांकरी	18632420	186000	18446420	372648	2794863	1537202	1537202	65213

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के पक्ष

2

**जनपद नैनीताल में नवसूजित दुकानों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 के राजस्व का विवरण**

क्र. सं०	मदिरा दुकान का नाम	मदिरा दुकान का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्युतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (राजस्व का 15प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल निर्धारित राजस्व (विदेशी 4 प्रतिशत एवं देशी 2 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात्)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्युतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (राजस्व का 15%)	वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु कुल निर्धारित राजस्व की धरोहर धनराशि (EMD)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नैनीताल रोड नं०-3 ( बजून से कालाढूंगी मार्ग)	विदेशी	18200000	182000	18018000	1501500	2730000	18928000	189000	18739000	1561583	2839200	742560
2	काशीपुर रोड (रामनगर से काशीपुर मार्ग)	विदेशी	17400000	174000	17226000	1435500	2610000	18096000	181000	17915000	1492917	2714400	709920
3	रामपुर रोड (पंचायतघर से गन्ना रोप्टर मार्ग)	विदेशी	31000000	310000	30690000	2557500	4650000	32240000	322000	31918000	2659833	4836000	1264800
4	मोहान रोड (ढिकुली से मोहान रोड)	विदेशी	15000000	150000	14850000	1237500	2250000	15600000	156000	15444000	1287000	2340000	612000
5	रातीघाट (नैनीताल)	विदेशी	11000000	110000	10890000	907500	1650000	11440000	114000	11326000	943833	1716000	448800
6	गौलापार से चोरगलिया रोड	देशी	17800000	178000	17622000	1468500	2670000	18156000	182000	17974000	1497833	2723400	719120
7	नैनीताल रोड नं०-3 ( बजून से कालाढूंगी मार्ग)	देशी	11000000	110000	10890000	907500	1650000	11220000	112000	11108000	925667	1683000	444400
8	मालधन रोड, (निकट विदेशी मदिरा दुकान)	देशी	10520000	105000	10415000	867917	1578000	10730400	107000	10623400	885283	1609560	425008

  
 (जिला आबकारी अधिकारी)  
 नैनीताल